

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदमदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआविनि/स्था-3/1995/2024/ भोपाल,

दिनांक 07/08/24

//आदेश//

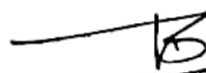
मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (सिविल) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (सिविल)" के पद पर वेतनमान रुपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

स0क्र0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	श्री दिवाकर सिंह, पिता श्री अरुण कुमार सिंह, पता-रेलवे क्वार्टर नंबर-1044-सी, इमरजेंसी कॉलोनी, कटिहार बिहार, पिन कोड-854105, मोबाईल नंबर-8770185037	अनारक्षित वर्ग/ओपन
02	सुश्री हार्दिका सिंह, पिता श्री सौविर सिंह, पता-02, प्रेम एवेन्यू कॉलोनी, उज्जैन म.प्र. पिन कोड-456006, मोबाईल नंबर-8120193583	अनारक्षित वर्ग/महिला
03	श्री शुभम मेहरावत, पिता श्री कैलाश चंद्र मेहरावत, पता-200 शिवाजी नगर, मालवा मिल इंदौर म.प्र. पिन कोड-452003 मोबाईल नंबर-9893728625	अनुसूचित जाति/ओपन
04	श्री हेमंत निम्ब, पिता श्री भगवान सिंह निम्ब, पता-शंकर कॉलोनी, लिकन स्कूल के पास, गौलपहाडिया, लश्कर ग्वालियर म.प्र. पिन कोड-474001 मोबाईल नंबर-8085217707	अनुसूचित जाति/ओपन
05	श्री अनिकेत विश्वकर्मा, पिता श्री धरमचंद विश्वकर्मा, पता-वार्ड नं. 14 पानी की टंकी के पास, चांद रोड, तहसील चौरई, छिंदवाड़ा म.प्र. पिन कोड-480115 मोबाईल नंबर-9522826072	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन
06	श्री अनंत सिंह, पिता श्री कृष्ण प्रताप सिंह, पता-ग्राम-रामस्थान, तहसील-रघुराजनगर, जिला-सतना म.प्र. पिन कोड-485221 मोबाईल नंबर-7987568066	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन
07	श्री हेमंत कुमार गौर, पिता श्री रामदयाल गौर, पता-मकान नं-12, राजपूत मोहल्ला, ग्राम आछारोही, तहसील-श्यामपुर, जिला-सिहोर म.प्र. पिन कोड-466665 मोबाईल नंबर-8461062983	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन
08	श्री प्रेरित पटले, पिता श्री पूरनलाल, पता-वार्ड नंबर-1, मानपुर तहसील लालबर्वा, जिला-बालाघाट पिन कोड-481661 मोबाईल नंबर-9109242184	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन
09	श्री चन्द्रेश कुमार लोधा, पिता श्री रामचरण लोधा, पता-ग्राम चैनपुर गैल, पोस्ट-विजयपुर, जिला-गुना म.प्र. पिन कोड-473111, मोबाईल नंबर-9755620157	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/बैकलॉग
10	श्री मयूर राठौर, पिता श्री राजेन्द्र कुमार राठौर, पता-569, रेल्वे स्टेशन रोड शाहपुर जिला-बैतूल म.प्र. पिन कोड-460440, मोबाईल नंबर-9407526327	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/बैकलॉग
11	श्री सचिन रेवापाटी, पिता श्री प्रहलाद रेवापाटी, पता-ग्राम एवं पोस्ट बोंसवा, तहसील सनावद, जिला-खरगोन म.प्र. पिन कोड-451111, मोबाईल नंबर-8889799445	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा
12	सुश्री माधुरी यादव, पिता श्री बालकृष्ण यादव, पता-मकान नं. 1248/2 नई बस्ती संजय गाँधी वॉड, कस्तूरबा कांचघर, हाई कोर्ट, जबलपुर म.प्र. पिन कोड-482007, मोबाईल नंबर-7771067774	अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/20 संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

1. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 7 दिवस के अंदर कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भदमदा रोड, भोपाल में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

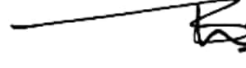
(1)


07/08/24

(2)

- देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. अभ्यार्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
 7. अभ्यार्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 8. अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 9. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।


(उपेन्द्र जैन) 07/08/24

विशेष पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल
दिनांक.....

क्रमांक- मप्रपुआविनि/स्था-3/
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

/2024/भोपाल,

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, 03, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- वित्तीय सलाहकार/मुख्यलेखाधिकारी, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि भोपाल।
- 5- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यार्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।

(उपेन्द्र जैन)
विशेष पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदमदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआविनि/स्था-3/ 1996/2024/ भोपाल,

दिनांक 07/08/24

//आदेश//

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (विद्युत) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (विद्युत)" के पद पर वेतनमान रुपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

स0क्र0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	श्री प्रभाकर पचौरी, पिता श्री राम स्वरूप पचौरी, पता-वार्ड क्रमांक 09, कंठी मुहाल, लवकुश नगर जिला-छतरपुर म.प्र., पिन कोड-471515 मोबाईल नंबर-9755115993	अनारक्षित वर्ग/ओपन/20 % संविदा कोटा
02	श्री नीलेश कुमार जायसवाल, पिता श्री संतोष कुमार जायसवाल, पता-367/1-नारायण वार्ड पुराना 10, राजपूत कॉलोनी, हरपालपुर जिला-छतरपुर म.प्र. पिन कोड-471111, मोबाईल नंबर-7982941350	अन्य पिछड़ा वर्ग /ओपन
03	सुश्री प्रतिभा सिंह, पिता श्री जय सिंह, पता-वॉर्ड नं-10 ग्राम पोस्ट लौलाछ रामपुर बघेलान, सतना म.प्र. पिन कोड-485115 मोबाईल नंबर-8719851581	अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
04	श्री कृष्ण बाल कुशवाहा, पिता श्री राम नरेश पता-बाला जी बस्ती उमरी वार्ड नं 02 सतना म.प्र. पिन कोड-485001 मोबाईल नंबर-8770398251	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/बैकलॉग
05	श्री गिरीश नापित, पिता श्री पूरनलाल, पता-पठाराम, तहसील-निवाडी जिला-निवाडी टीकमगढ़ म.प्र. पिन कोड-472445 मोबाईल नंबर-7999353371	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन/20 % संविदा कोटा
06	श्री मेघा सराटकर, पिता श्री शेषराव सराटकर, पता सतपाल आश्रम, इंदिरा वार्ड, सदर बैतूल तहसील जिला-बैतूल, म.प्र. पिन कोड-460001 मोबाईल नंबर-7000922057	अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/20 % संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

- अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 7 दिवस के अंदर कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भदमदा रोड, भोपाल में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टापपेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस

(1)


07/8/24

2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टायपेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
3. अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
4. उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
5. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
7. अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

(उपेन्द्र जैन) 07/08/24
विशेष पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

क्रमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

/2024/भोपाल,

दिनांक.....

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, 03, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- वित्तीय सलाहकार/मुख्यलेखाधिकारी, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 5- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यर्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।

(उपेन्द्र जैन)
विशेष पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल